UPBP010013402026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बलरामपुर।

आपराधिक प्रकीर्ण वाद संख्या (कम्प्यूटर)–49/2026

आपराधिक प्रकीर्ण वाद संख्या (रजिस्टर)–25/2026

शेषराम बनाम गोबरे आदि ।

अन्तर्गत धारा-173 (4) बी.एन.एस.एस.

थाना-तुलसीपुर ।

जनपद-बलरामपुर ।

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। पूर्व में प्रार्थी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-173 (4) बी.एन.एस.एस. पर सुना जा चुका गया है।

प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-173 (4) बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि-प्रार्थी अनुसूचित चमार जाति का गरीब मजदूर पेशा व्यक्ति है। प्रार्थी सपरिवार अपने घर में दिनांक 11.08.2024 को सो रहा था कि करीब 3:00 बजे सुबह आहट और दौड़ने की आवाज सुनकर जाग गया बाहर निकल कर देखा कि पक्के घर का ताला टूटा हुआ है तुरंत घर में घुसकर देखा कि बक्सा गायब था जिसमें बेटी सावित्री का जेवर चांदी का मंगलसूत्र, करधन, पायल, दसबंद तथा बड़ी पतोहू पार्वती का करथन, झुमकी, पायल, दसबंद, मंगलसूत्र और छोटी पतोहू का सोने का मंगलसूत्र तीन ठप्पा, झाला, दो मारवाड़ी नथुनी, करधन, पायल, दो चुल्ला. नगद मु० 6,000/- रूपये आदि था प्रार्थी तुरंत अपने बेटे गंगाराम को जगाकर बाहर खोजने के लिए निकला तो गांव के दूर उत्तर दिशा में सरहद पर गांव के ही गोबरे पुत्र कामता, मालिकराम पुत्र उमा प्रसाद को चार अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ बक्सा छोड़कर भागते हुए देखा प्रार्थी दौड़कर बक्से के पास पहुंचा तो खाली बक्सा पाया। सारे जेवरात और मु० 6,000/- नगद बक्से में नहीं थे। प्रार्थी तुरंत बेटे से 1 12 नंबर पर फोन लगवाया पुलिस आयी लेकिन पूछताछ करने के अलावा कोई कार्यवाही नहीं की। प्रार्थी सारी घटना नंदमहरा चौकी और थाना तुलसीपुर जाकर कई बार बताया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं किये। जेवर की कीमत करीब 6,00,000/- रुपये थी जिसे गांव का ही गोबरे पुत्र कामता और मालिकराम पुत्र उमाप्रसाद चार अन्य चोरों के सहयोग से प्राथी को कंगाल बना दिये हैं। प्रार्थी असहाय, गरीब और लाचार है। थाने से कोई कार्यवाही न होने के कारण मजबूरन श्रीमाल जी को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए सूचित कर रहा है। प्रार्थी पक्ष द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर मामले की विवेचना कराये जाने की याचना की गयी है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी पक्ष द्वारा अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में मूल रजिस्ट्री रसीद कागज संख्या 5 ख, पुलिस अधीक्षक को प्रेषित प्रार्थनापत्र दिनांकित 17.06.2025 की छाया प्रति कागज संख्या 6 ख/1 एवं पुलिस अधीक्षक को प्रेषित प्रार्थनापत्र दिनांकित 03.09.2024 की छाया प्रति कागज संख्या

6 ख/2 , कार्यालय तहसीलदार तुलसीपुर जनपद बलरामपुर द्वारा उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के जाति प्रमाणपत्र की छायाप्रति कागज संख्या-7 ख एवं आधारकार्ड की छायाप्रति कागज संख्या-9 ख एवं दाखिल किया गया है।

थाने की आख्या अनुसार घटना के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) B.N.S.S में स्वयं को अनुसूचित जाति का होना कहा है तथा दिनांक 11.08.2024 को पक्के घर का ताला टूटने व बक्से मे रखे हुए गहने व रुपये चोरी होने का आरोप लगाया है। प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोप को दृष्टिगत रखते हुए प्रथमदृष्टया संज्ञेय प्रकृति के अपराध का मामला बनना प्रतीत होता है और मामले के समस्त तथ्य, परिरस्थितियों व आरोप की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत मामले में प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) B.N.S.S स्वीकार कर पुलिस द्वारा विवेचना कराये जाने का आधार पर्याप्त पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) B.N.S.S स्वीकार किया जाता है। थानाध्यक्ष तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) B.N.S.S में दर्शित घटना के बाबत नियमानुसार अभियोग पंजीकृत कर विवेचना के उपरान्त पुलिस रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें ।

दिनांकः10.06.2026

(अवधेश कुमार II)
जे0 ओ 0 कोड-यू0 पी0-2708
विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम)/अपर सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर ।

Digitally signed by AWADHESH KUMAR
Date: 2026.06.10 15:57:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court